



2026:AHC:2361

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19488 वर्ष 2025

उर्मिला देवी

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:

घन श्याम, संजय कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री घनश्याम के सहयोगी अधिवक्ता श्री अनुज चतुर्वेदी (ए.ओ.आर. संख्या ए/ए 0813/2021) और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना गया।

2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के पति को 22.09.1990 को यात्री कर अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्हें 12.11.2009 को यात्री कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था। वह 31.01.2021 को सेवानिवृत्त हुए और 13.12.2021 को उनका निधन हो गया। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, ₹6600/- का तृतीय श्रेणी वेतनमान याचिकाकर्ता (के पति) को भुगतान नहीं किया गया है, जबकि वह इसके पात्र थे और अब उनका स्वर्गवास हो चुका है।

3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

4. न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को इस निर्देश के साथ **निस्तारित** किया जाता है कि याचिकाकर्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। उक्त प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 2 कानून के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेगा। यह कार्यवाही आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। यदि प्रतिवादी संख्या 2 यह पाता है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो याचिकाकर्ता को उचित सूचना देने के बाद संबंधित कागजात उस प्राधिकारी को भेज दिए जाएंगे।

7 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.